

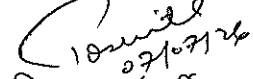
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एकल स्रोत निविदा सूचना

क्रमांक: HC/SK/Procurement/2026-27/09

दिनांक : 07.07.2026

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक वर्ष हेतु श्री रामचन्द्र राजपुरोहित, सेवानिवृत्त सहायक रजिस्ट्रार की सेवाएं (As consultant) लेने के सम्बन्ध में मुहरबन्द निविदा दिनांक 13.07.2026 सुबह 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.heraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (अनुमानित सेवा राशि रुपये 6,40,800/- प्रति वर्ष)

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण- II)
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

1. पूर्ण रूप से भरी हुई मोहरबंद निविदा मय प्रपत्र व विवरण कार्यालय समय में दिनांक 13.07.2026 को सुबह 11:00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 13.07.2026 को दोपहर 11.30 बजे उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदा में वर्णित दरें सभी करें सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व सभी संलग्नकों के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करने होंगे तथा कॉट-छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।
3. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.10(36)न्याय/2017/पार्ट दिनांक 16.06.2026 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 Dated 18.08.2023 के अधीन श्री रामचन्द्र राजपुरोहित जी को नियमानुसार देय नियत पारिश्रमिक के आधार पर एक वर्ष के लिये सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
4. सम्बन्धित व्यक्ति को कार्य आदेश का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के दस (10) दिवस के अन्दर शुरू करना होगा। निविदा में वर्णित सेवा दरों में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो कार्यालय इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
5. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। सन्तोषप्रद सेवा के पश्चात ही भुगतान देय होगा। प्रत्येक कार्य आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना होगा।
6. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
7. उक्त कार्य सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।
8. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
9. निविदादाता को कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर करार पत्र मुद्रित करवाकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करते इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त General Financial and Accounts Rules व Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
11. निविदादाता द्वारा समस्त आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों/पी.पी.ओ./एल.पी.सी. की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के संलग्न करना अनिवार्य है।
12. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

घोषणा पत्र

(सेवा प्रदाता का घोषणा पत्र)

उपरोक्त समस्त जानकारी शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि उक्त निविदा के सम्बन्ध में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। प्रतीकस्वरूप मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया सेवा कार्य किया जाता है तथा कार्य का पूर्ण अनुभव रखता है।

यदि उपर्युक्त वर्णित घोषणा असत्य पायी जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय मेरे विरुद्ध कोई भी न्यायोचित कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पता सील मोहर

